न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00343 (269/2016) **दायरा दिनांक : 02.08.2016**

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण आयु 50 वर्ष आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
2. रामकल्याण आयु 45 वर्ष आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1. भवानीशंकर आत्मज श्री हीरालाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
2. भंवरी बेवा श्री हीरालाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
3. सरस्वती बाई पुत्री श्री हीरालाल पत्नी श्री घांसीलाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान) हाल निवासी पुराने थाने के पास, जमना लाल कुम्हार का मकान, छबडा, जिला बारां
4. रामप्यारी बाई पुत्री श्री हीरालाल पत्नी श्री कालूराम, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान) हाल निवासिनी बजरंगगढ़, तहसील गुना, जिला गुना (मध्यप्रदेश)
5. गणपति बाई पुत्री श्री हीरालाल पत्नी नारायण, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान) हाल निवासिनी बीनागंज, तहसील गुना, जिला गुना (मध्यप्रदेश)
6. दी स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.03.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उप जिला कलेक्टर छबडा के प्रकरण संख्या – 301/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामिलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 2 किता तादादी रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 12/272 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 198/339 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 198/340 रकबा 13 बिस्वा कुल 5 किता कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा ग्राम उचावद, तहसील छबडा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2015 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि यह कि निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गहनता से अध्ययन न कर केवल मात्र सरसरी तौर पर प्रकरण को देखते हुये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय व डिक्री किये जाने में भारी कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति साबित कर दिया था कि उक्त कृषि आराजी में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कोई भी हक हिस्सा नहीं है और न ही उनका कभी कोई कब्जा काश्त रहा है। रेस्पोडेन्ट ने रेवेन्यु कर्मचारियों से मिलीभगत कर अनुचित तरीके से साजिशाना ढंग से जरिये इंतकाल उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी व आराजी खसरा नम्बर 11 वाके ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने स्वयं के नाम व हिस्से में दर्ज करवा लिया है। उक्त गलत इंद्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादग्रस्त कृषि आराजी में कोई भी हक हिस्सा व विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादग्रस्त कृषि आराजी व खसरा नम्बर 11 वाके ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां का खातेदार घोषित होने योग्य नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड व साक्ष्य का समुचित विवेचन व अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का वाद स्वीकार करने व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के वाद को स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। ग्राम गोडियाचारण की आराजी खसरा नम्बर 11 की रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 खसरा नम्बर 11 में से 4 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से हरीशंकर, रामस्वरूप पिसरान मोतीलाल नाथ को विक्रय कर दी थी और इंतकाल नम्बर 384 उक्त व्यक्तियों के नाम तस्दीक किया जा चुका है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 11 की रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलांट के पिता कन्हैयालाल जी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से विक्रय कर दी थी, जिसका इंतकाल नम्बर 383 अपीलांट के पिता श्री कन्हैयालाल जी के पक्ष में रजिस्ट्री के आधार पर तस्दीक किया गया है। खसरा नम्बर 11 की सम्पूर्ण शेष आराजी पर अपीलांट के पिता का कब्जा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

होने के कारण अपीलांट उक्त आराजी पर निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा 1972 के पारिवारिक बंटवारे के आधार पर अपीलांट का कब्जा निरंतर चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी बाबत् काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति स्पष्ट था कि उक्त आराजी अपीलांट को प्राप्त हुई है, जिस पर कब्जा काश्त भी अपीलांट का ही चला आ रहा है और लगान आदि भी अपीलांट ही जमा करवाता चला आ रहा है। अपीलांट की खातेदारी की उक्त कृषि आराजियात में गलत इंद्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विभाजन की कोई भी डिक्री पारित नहीं की जा सकती फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। ग्राम उचावद के माल की आराजी कुल 5 किता की रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा का बंटवारा अपीलांट के पक्ष में सही न कर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का दावा डिक्री करने का आदेश सर्वथा अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा ऐसी कोई भी विरोधी साक्ष्य पेश नहीं की गई थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी व आर्बिट्रेटरी रूप से ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर विश्वास न कर उसे न मानकर अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज कर और रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के वाद को स्वीकार कर विभाजन की प्रारिम्भक डिक्री पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की अनुपालना नहीं की है तथा तनकीयात का सही विवेचन न कर रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपने काउन्टर क्लेम को पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर कानूनी व विधि विरूद्ध रूप से तनकी नम्बर 1 व 2, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में तय कर व तनकी नम्बर 3 व 4 को अपीलांट के विरूद्ध तय करने में कानूनी त्रुटि की है। कानूनन दस्तावेज का आशय जानने के लिये व्याप्त रही परिस्थितियों पक्षकारों के आशय व दस्तावेज की भाषा को दृष्टिगत रखते हुये निष्कर्ष निर्धारित करना होता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई किये बिना ही उक्त तनकी अपीलांट के विरूद्ध तय कर रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार करने व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का वाद प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों व साक्ष्यों से यह भली भांति स्पष्ट था कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 क्लीन हैण्ड से वाद लेकर नहीं आया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य व साक्ष्य को नजरअंदाज कर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दावों व जवाब दावा, काउन्टर क्लेम का ना तो समुचित विवेचन किया और ना ही समुचित विवाद्यक कायम किये और ना ही उस पर समुचित साक्ष्य एकत्रित की और ना ही

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट को समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया, जिसके कारण निर्णय व डिक्री जैर अपील कानून के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर अपीलांट व उसके गवाहान तथा स्वयं रेस्पोडेन्ट व उसके गवाहान की साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रमाणित था कि वादग्रस्त कृषि आराजी पर विगत 15 वर्षों से भी अधिक समय से अपीलांट का खुल्लम खुल्ला निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है और उक्त कृषि आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, जिसके कारण अपीलांट सुस्थापित कब्जा प्रोटेक्ट किया जाना व अपीलांट को उक्त कृषि आराजी का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है और केवल जरिये इंतकाल दर्ज किये गये नाम के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में कोई भी विभाजन की डिक्री पारित कर उसकी आड में अपीलांट को बेदखल कर व वादग्रस्त कृषि आराजी से वंचित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील वाद संख्या 301/2004 निरस्त फरमाया जावे और अपीलांट्स के काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.06.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस होना माना है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.04.2015 की अपील 20.06.2016 को पेश की है जो गम्भीर रूप से मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय में हमने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद किया था। दावे के निर्णय में भवानीशंकर का दावा आंशिक स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का पहला निर्णय दिनांक 06.07.2011 को वादी का वाद अस्वीकार व काउंटर क्लेम लक्ष्मीनारायण स्वीकार किया। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2012 से प्रकरण रिमाण्ड किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पुनः सुनवाई कर दिनांक 06.04.2015 का निर्णय पारित किया। प्रस्तुत जमाबंदी एक्जीविट पी 2 में हमारा 1/2 हिस्सा दर्ज है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे का और इकरारनामे को स्वीकार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिवत है। अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी भवानीशंकर द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 2004 में विवादित आराजी के बंटवारे के सन्दर्भ में एक वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा मय काउंटर क्लेम एवं प्रतिवादी नम्बर 3 ता 6 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 06.07.2011 को अपने निर्णय से वादी का वाद खारिज किया और प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय की अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.08.2011 को दायर होकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2012 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2011 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि निर्णय के पैरा संख्या 7 में किये गये विवेचन के आधार पर नये सिरे से तनकीयात की विवेचना कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में पुनः उभयपक्ष की सुनवाई करने के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 06.04.2015 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज करते हुए, विवादित आराजी ग्राम उचावद, तहसील छबडा खसरा नम्बर 193 रकबा 5.11 बीघा व खसरा नम्बर 197 रकबा 3.05 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 8.16 बीघा में वादी का हिस्सा 1/4 एवं खसरा नम्बर 12/272 रकबा 6.19 बीघा खसरा नम्बर 16 रकबा 9.09 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 198/339 रकबा 8.00 बीघा, खसरा नम्बर 198/340 रकबा 0.13 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 26.11 बीघा में वादी का हिस्सा 1/10 अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

से बुरी के सिद्धांत अनुसार पृथक किये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी ग्राम उचावद, तहसील छबडा सम्वत 2058 से 2061 खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 193, 197 प्रदर्श पी 1 एवं नकल जमाबंदी ग्राम उचावद, तहसील छबडा सम्वत 2058 से 2061 खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 12/272, 16, 17, 198/339, 198/340 प्रदर्श पी 2 में दर्ज वादी के हिस्से अनुसार होने के कारण विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श डी 2 ए एक तहरीर की फोटो प्रति है और प्रदर्श डी 3 ए पंचनामा व प्रदर्श डी 4 ए सदस्य पंचायत समिति छबडा के पत्र की फोटो प्रति है, जो अपंजीकृत दस्तावेज है इन अपंजीकृत दस्तावेजों एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलांट प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार करना वैधानिक रूप से उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार होने के कारण हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/03/25

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. लक्ष्मीनारायण आयु 50 वर्ष आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
2. रामकल्याण आयु 45 वर्ष आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. भवानीशंकर आत्मज श्री हीरालाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
2. भंवरी बेवा श्री हीरालाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
3. सरस्वती बाई पुत्री श्री हीरालाल पत्नी श्री घांसीलाल, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान) हाल निवासी पुराने थाने के पास, जमना लाल कुम्हार का मकान, छबडा, जिला बारां
4. रामप्यारी बाई पुत्री श्री हीरालाल पत्नी श्री कालूराम, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान) हाल निवासिनी बजरंगगढ़, तहसील गुना, जिला गुना (मध्यप्रदेश)
5. गणपति बाई पुत्री श्री हीरालाल पत्नी नारायण, जाति नाथ, निवासी ग्राम गोडियाचारण, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान) हाल निवासिनी बीनागंज, तहसील गुना, जिला गुना (मध्यप्रदेश)
6. दी स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां (राजस्थान)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2016/00343 (269/2016** एवं
मु.द.नं0 **301/2004**

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **06.04.2015**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **03 माह 03** सन् **2025**

श्री **हेमेन्द्र सिंह आसावत** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **दीनानाथ गालव** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2015 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **27 माह 03 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)